समाचार पत्रों की कतरनें

मई, 2026

अमर उजाला, दिनांक 3 मई 2026

मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन होंगे जब्त

मुख्यालय ने जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मॉडिफाइड साइलेंसर पाए जाने पर अब वाहन जब्त होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत चालान भी किया जाएगा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चला कर अवैध मॉडिफाइड साइलेंसरों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तेज धमाकेदार आवाज पैदा करने वाले साइलेंसर न केवल मोटर व्हीकल कानूनों का उल्लंघन हैं, बल्कि आम लोगों की शांति, स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा पर भी

तेज धमाकेदार आवाज वाले साइलेंसर सड़क सुरक्षा के लिए खतरा, चालान भी होंगे

गंभीर असर डालते हैं। कंपनी द्वारा स्वीकृत मानकों से छेड़छाड़ कर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का भी उल्लंघन है। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ चालान कर भारी जुर्माना लगाने और वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी क्षेत्रों में इन साइलेंसरों की तेज आवाज से बुजुर्ग, छोटे बच्चे और मरीज सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। लगातार तेज ध्वनि मानसिक तनाव, नींद में बाधा और सुनने की क्षमता पर असर डाल सकती है।

इसके अलावा अचानक तेज धमाकेदार आवाज सड़क पर वाहन चला रहे अन्य लोगों का ध्यान भटका सकती है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। हिमाचल पुलिस ने युवाओं से विशेष रूप से अपील की है कि वह दिखावे या शौक के लिए ऐसे अवैध साइलेंसर का उपयोग न करें और सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें।

दिव्य हिमाचल, दिनांक 14 मई 2026

आरटीओ ने 25 गाड़ियों के काटे चालान

नोगली-तकलेच रूट पर चला आरटीओ का चेकिंग अभियान, 35 हजार वसूला जुर्माना

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-रामपुर बुशहर

रामपुर उपमंडल के नोगली से तकलेच वाया दरकाली-काशापाट रूट पर बुधवार को आरटीओ रामपुर नरेश वर्मा के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई एचआरटीसी प्रबंधन एवं निजी बस ऑपरेटरों द्वारा अवैध सवारी ढोने वाले वाहनों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई। अभियान के दौरान अवैध रूप से सवारियां ढो रहे कुल

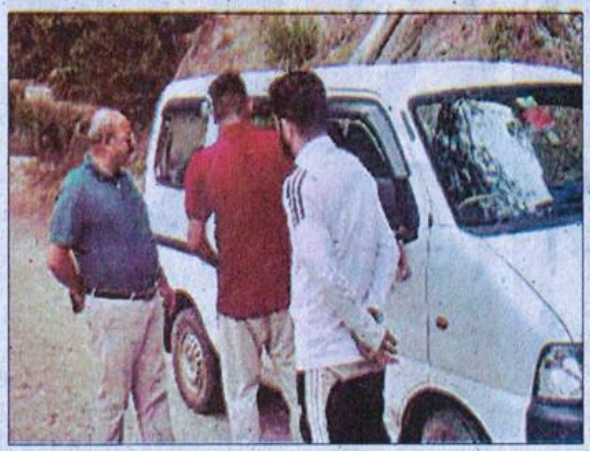

रामपुर बुशहर : नोगली से तकलेच में गाड़ियों की चेकिंग करते अधिकारी

25 वाहनों मुख्यत: बोलेरो कैंपर व पिक के चालान काटे गए। मौके पर ही 35 हजार रुपए नगद जुर्माना वसूला गया, जबकि 45 हजार लंबित राशि की वसूली हेतु कार्रवाई जारी है। आरटीओ नरेश वर्मा ने यात्रियों को अवैध वाहनों से बचने तथा केवल अधिकृत बसों में यात्रा करने की सलाह दीए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि अवैध वाहनों के कारण सरकारी परिवहन निगम को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। चेकिंग के दौरान एक एचआरटीसी बस में 26 टिकटें बनीए जबकि सामान्यत: इस रूट पर 10 से 12 टिकटें ही बनती हैं। इससे स्पष्ट है कि अवैध वाहनों के चलते निगम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आरटीओ ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और अवैध सवारी ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 15 मई 2026

पहले दिन 15 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, जून माह से सारथी ऐप से जुड़ेगी पूरी प्रक्रिया

रोड़ा में शुरू हुआ ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

उपमंडल हरोली के रोड़ा में स्थापित हिमाचल प्रदेश के पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर वीरवार को आधिकारिक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन 15 अभ्यर्थियों ने ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट दिया। हालांकि फिलहाल यहां लाइसेंसिंग प्रक्रिया पुरानी प्रणाली के तहत संचालित की जा रही है, क्योंकि ट्रैक को अभी सारथी ऐप से नहीं जोड़ा गया है।

वर्तमान में ट्राई की निगरानी आरटीओ और एमवीआई अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। विभाग के अनुसार जून माह तक यहां पूरी तरह सेंसर आधारित ऑटोमेटेड प्रणाली लागू कर दी जाएगी। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट में मानव हस्तक्षेप काफी हद तक समाप्त हो जाएगा और योग्य अभ्यर्थियों का सटीक एवं पारदर्शी मूल्यांकन संभव हो सकेगा। पहले दिन ट्रैक पर अभ्यर्थियों का अनुभव बेहतर रहा। अधिकारियों के अनुसार कार चालक करीब पांच मिनट में अपनी ट्राई पूरी कर रहे थे, जबकि अधिकांश बाइक चालकों ने 30 से 40 सेकंड में टेस्ट पूरा किया। नई व्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों में भी उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अशोक कुमार और मोटर वाहन निरीक्षक सुमीर दत्ता ने बताया कि यह ट्रैक पहले की तुलना में अधिक आवेदक फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही।

सप्ताह में 4 दिन ड्राइविंग टेस्ट 2 दिन अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किए जाएंगे

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि ट्रैक के संचालन के लिए करीब 10 कर्मचारियों की मांग उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। स्टाफ उपलब्ध होने के बाद यहां सारथी एप के माध्यम से पूरी तरह ऑटोमेटेड टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। साथ ही सप्ताह में 4 दिन ड्राइविंग टेस्ट और दो दिन अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किए जाएंगे ताकि चालक परीक्षण से पहले अभ्यास कर सकें।

अमर उजाला, दिनांक 20 मई 2026

आरटीओ कार्यालय में जमा होंगे अब फिटनेस-पासिंग के आवेदन, शुल्क

आरएलए शहरी और ग्रामीण में जमा नहीं होंगे आवेदन, जून से नई व्यवस्था

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। वाहनों की पासिंग और फिटनेस निरीक्षण प्रक्रिया में एक जून से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब वाहनों की पासिंग और फिटनेस निरीक्षण के लिए सीधे आरटीओ कार्यालय में आवेदन और शुल्क जमा करवाना होगा।

आरएलए शहरी और ग्रामीण में जमा होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रदेश सरकार और परिवहन निदेशालय हिमाचल प्रदेश के 13 मार्च 2024 को जारी आदेशों की पालन करते हुए एक जून से नई व्यवस्था जिला शिमला में लागू हो जाएगी।

जिन जिलों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) मुख्यालय है, उनके लिए यह आदेश जारी किए गए थे। बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन

बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन में आरटीओ और एमवीआई ही होंगे सक्षम प्राधिकारी

में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) ही सक्षम प्राधिकारी होंगे। ये अधिकारी ही वाहनों की पासिंग और फिटनेस निरीक्षण से संबंधित पूरी कार्रवाई आरटीओ कार्यालय के माध्यम से ही पूरी करेंगे।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला विश्व मोहन चौहान ने बताया कि एक जून से फिटनेस और पासिंग के आवेदन और फीस आरटीओ कार्यालय में जमा करवानी होगी। संबंधित आरएलए कार्यालय ऐसे मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए आरटीओ शिमला कार्यालय को भेजे। इसको लेकर आरएलए कार्यालयों को पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एक जून से नई व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया जाएगा।

एचआरटीसी शिमला डिविजन की कंडम 64 बसें होंगी बेड़े से बाहर

शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चार डिविजनों में निर्धारित समय सीमा को पूरा कर चुकी खराब बसों को परिवहन निगम इन दिनों कंडम करने की प्रक्रिया चला रहा है। शिमला डिविजन की बसों की कंडम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डिविजनल मैनेजर की ओर से 64 बसों को कंडम करने का प्रस्ताव भेजा गया है। परिवहन निगम के शिमला डिविजन के डिविजनल मैनेजर देवा सेन नेगी ने माना कि 64 बसें कंडम करने के लिए प्रस्तावित की गई हैं। ब्यूरो

हिमाचल दस्तक, दिनांक 22 मई 2026

हाई कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण पुनर्गठित

विशेष संवाददाता ■ शिमला

- स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बदली
- सचिव सहकारिता को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया

प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का नए सिरे से गठन किया है। एसटीए में पहले एसीएस परिवहन चेयरमैन थे, जिनको अब हटा दिया गया है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश दिए थे, जिस पर वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-68 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नई राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन किया है।

अधिसूचना के अनुसार यह प्राधिकरण अधिनियम की उपधारा-2 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सचिव सहकारिता को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त, लीड एजेंसी रोड सेफ्टी सेल को सदस्य तथा सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण शिमला को सदस्य सचिव बनाया गया है। वहीं सरकार ने एक अन्य अधिसूचना में प्रदेश के 12 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का पुनर्गठन कर दिया है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 11 मार्च, 2026 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। राज्यपाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-68 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंडी, धर्मशाला, शिमला, कुल्लू, चंबा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, रामपुर तथा जिला सोलन के नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया है। सरकार की ओर से तय नई व्यवस्था के तहत संबंधित क्षेत्र के डिविजनल कमिश्नर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि संबंधित जिले के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक 30 मई 2026

प्रदेश में परिवहन विभाग के ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए नए अधिकारी नियुक्त

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

- क्षेत्रीय स्तर पर आरटीओ, यातायात निरीक्षक और मोटर वाहन निरीक्षक के काटे चालानों की सुनवाई करेंगे आरटीओ
- चालकों को अब मिलेगी अपील और न्यायिक सुनवाई की स्पष्ट व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने मोटर वाहन चालानों के न्यायिक निपटारे और अपील प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 23 मई, 2026 को जारी की गई है, जिसके तहत प्रदेश में परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों को चालानों के निपटारे और सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है। अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 167 में संशोधन किए जाने के बाद हिमाचल सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जारी चालानों के निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी तरीके से निपटारे की प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। सरकार ने अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को निवारण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। क्षेत्रीय स्तर पर आरटीओ, यातायात निरीक्षक और मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा जारी चालानों की सुनवाई संबंधित आरटीओ करेंगे। उप-निदेशक परिवहन, सहायक आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मामलों का निपटारा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण करेंगे। इसके अलावा राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव स्तर के मामलों की सुनवाई निदेशक परिवहन करेंगे, जबकि निदेशक परिवहन से जुड़े मामलों का निपटारा अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव (परिवहन) करेंगे। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।